न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत।

पीठासीनः जितेन्द्र कुमार सिन्हा, एच0जे0एस0

जे0ओ0 कोड नं0 यू0पी0 6515

सत्र वाद संख्या– 479/2022

राज्य प्रति गोकिल व 2 अन्य।

मु0अ0सं0 427/2021
अं0 धारा 302, 504 भा0दं0सं0,
थाना बिलसंडा, जि0 पीलीभीत।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 58–ख अं0 धारा 319 सीआर0पी0सी0

पत्रावली प्रार्थनापत्र सं0 58–ख अं0 धारा 319 दं0प्र0सं0 पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र पर पूर्व नियत तिथि पर विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

वादी मुकदमा छोटे लाल की ओर से उपरोक्त प्रार्थनापत्र अं0 धारा 319 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाद में वादी है तथा उसने घटना की तहरीर लिखायी थी। वादी/प्रार्थी ने दरोगाजी को यह बयान दिया था कि घटना में शेर सिंह यादव पुत्र राम प्रताप शामिल था तथा न्यायालय में पी0डब्लू0 1 के रूप में बयान में शेर सिंह का नाम बताया है। उक्त वाद में ब्रजेश की पत्नी शान्ती देवी ने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में भी शेर सिंह यादव पुत्र रामप्रताप यादव को घटना के समय शामिल होना, मारपीट करना बताया है तथा मा0 न्यायालय में भी शेर सिंह यादव को घटना में शामिल होना बताया है। इसी प्रकार पी0डब्लू0 3 वर्षा सिंह ने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान व मा0 न्यायालय में भी शेर सिंह का नाम बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी वजह से शेर सिंह का नाम लिखना रह गया था,सभी गवाहों ने शेर सिंह का नाम दि0 19.12.2021 की शाम 4.00 बजे हमीपुरा चौराहा पर मृतक ब्रजेश के साथ मारपीट करना बताया है। इसी प्रकार पी0डब्लू0 4 प्रतुल ने भी शेर सिंह को घटना में शामिल होना बताया है। अतः अभियुक्त शेर सिंह यादव पुत्र श्री रामप्रताप को धारा 319 दं0प्र0सं0 में तलब करने की प्रार्थना की गयी ।

आपत्तिकर्ता/सह अभियुक्त द्वारा लिखित आपत्ति 65–ख प्रस्तुत की गयी है। जिसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी छोटे लाल पी0डब्लू0 1 ने मा0 न्यायालय में अपने बयानों में यह नहीं बताया कि अभियुक्त शेर सिंह का नाम एफ0आई0आर0 में लिखने से किस वजह से रह गया । प्रार्थी छोटे लाल ने अपने प्रार्थनापत्र अं0 धारा 319 द0प्र0सं0 के पैरा 2 मे यह बात गलत लिखी है कि उसने विवेचक को आपत्तिकर्ता शेर सिंह को घटना में शामिल होना बताया था। इस मामले में पुर्नविवेचना भी हुयी है तथा तमाम विवेचना व गवाहान के बयान में उक्त अपराध में आपत्तिकर्ता शेर सिंह की संलिप्तता नहीं पायी गयी है। उक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ता शेर सिंह को उक्त केस में झूठा फंसाने के लिए प्रार्थी/वाद छोटे लाल द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र अं0 धारा 319 दं0प्र0सं0 निरस्त होने योग्य है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 58–ख अं0 धारा 319 दं0प्र0सं0 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी एवं उनकी सहायता कर रहे वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त शेर सिंह का नाम उल्लिखित नहीं किया गया है लेकिन चश्मदीद साक्षीगण चम्पा देवी व शान्ति देवी के बयान अं0 धारा 161 दं0प्र0सं0 में शेर सिंह का नाम घटना कारित करने वालों में लिया गया है परन्तु विवेचक ने सही विवेचना नहीं करके आरोपपत्र प्रेषित किया है। न्यायालय के समक्ष पी0डब्लू0 1 छोटे लाल, पी0डब्लू0 2 शान्ति देवी, पी0डब्लू0 3 वर्मा सिंह व पी0डब्लू0 4 मृदुल के द्वारा अभियुक्त शेर सिंह की उपस्थिति घटनास्थल पर दिखायी गयी है और उसके द्वारा भी मृतक ब्रजेश कुमार को लाठी डण्डों से मारपीट करना कहा गया है। विद्वान अधिवकता द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त शेर सिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य से अधिक साक्ष्य विचारण के दौरान आया है और अभियुक्त शेर सिह धारा 319 द0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु आहूत किए जाने योग्य है। अपने तर्का के समर्थन में

Digitally signed by Jitendra Kumar Sinha
Date: 2023.11.23 16:16:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन पक्ष की ओर से **2022 (1) जे0आई0सी0 रिपोर्ट्स 366 (एस0सी0) सरताज सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा** एवं एक अन्य की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है।

दूसरी तरफ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा दौरान विवेचना अभियुक्त शेर सिंह का नाम नहीं आया है, इसलिए उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित नहीं किया गया और अभियुक्त शेर सिंह का नाम रंजिशन साक्षीगण ने लिया है, जिसके आधार पर उसको विचारण हेतु तलब नहीं किया जा सकता ।

पत्रावली का परिशीलन किया। प्रस्तावित अभियुक्त शेर सिंह का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। साक्षी चम्पा देवी व शांति देवी ने अपने बयान अं0 धारा 161 दं0प्र0सं0 में प्रस्तावित अभियुक्त शेर सिंह का नाम भी घटना कारित करने वालों में लिया है परन्तु विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया गया है जिसमें अभियुक्त शेर सिंह का नाम अभियुक्त के रूप में नहीं है। साक्षी पी0डब्लू0 2 शांति देवी ने अपने बयान में न्यायालय में प्रस्तावित अभियुक्त शेर सिंह का नाम घटना कारित करने वालों में लिया है। साक्षी चम्पा देवी का साक्ष्य होना अभी शेष है। इसके अतिरिक्त पी0डब्लू0 1 छोटे लाल, पी0डब्लू0 3 वर्मा सिंह व पी0डब्लू0 4 मृदुल ने प्रस्तावित अभियुक्त शेर सिंह का नाम घटना कारित करने वालों में लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **(2014) 2 एस0सी0सी0 92 हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि दं0प्र0सं0 की धारा 319 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु आहूत करने के लिए न्यायालय द्वारा यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन से अधिक व दोषसिद्धि से कम साक्ष्य होना आवश्यक है।

यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रस्तावित अभियुक्त शेर सिंह का नाम दर्ज नहीं है परन्तु दौरान विवेचना साक्षीगण चम्पा देवी व शान्ति देवी के बयान में अभियुक्त शेर सिंह की घटना कारित करने की भूमिका दर्शायी गयी है। विचारण के दौरान पी0डब्लू0 1 छोटे लाल, पी0डब्लू0 2 शान्ति देवी, पी0डब्लू0 3 वर्मा सिंह व पी0डब्लू0 4 मृदुल के द्वारा भी शेर सिंह की कथित घटना कारित करने में प्रस्तावित अभियुक्त शेर सिंह की भूमिका दर्शायी गयी है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन से अधिक तथा दोषसिद्धि से कम साक्ष्य इस स्तर पर होना प्रतीत होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य** के अंतर्गत प्रस्तावित अभियुक्त को विचारण हेतु आहूत किए जाने के लिए आवश्यक है। प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 58–ख अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है।

अतः अभियुक्त शेर सिंह यादव पुत्र रामप्रताप यादव, निवासी ग्राम पसगंवा, थाना बिलसण्डा, जिला पीलीभीत को धारा– 302, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में विचारण हेतु द्वारा सम्मन आहूत किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 08.12.2023 को वास्ते हाजिरी मुल्जिम/साक्ष्य पेश हो। अभियुक्त शेर सिंह यादव की हाजिरी हेतु नियत तिथि के लिए समन जारी हो।

सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत।
23.11.2023